भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002

वर्ष 2024-2025 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मीं/एल.एल.पी को सूचीबद्ध करने हेतु

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) के अन्तर्गत कंपनियों के तथा सॉविधिक निगमों/ स्वायत्त निकायों के उनके संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 2024-2025 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक चार्टर्ड एकाउंटरेन्ट फर्म/एल.एल.पी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा विस्तृत निर्देश हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर 05 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक उपलब्ध होंगे। फर्म/एल.एल.पी. अपनी 01 जनवरी 2024 की स्थिति दर्शाते हुए आवेदन डाटा भर/ अपडेट कर सकते हैं। डाटा भरने/अपडेट करने के पश्चात् उन्हें इस वर्ष के लिए आनॅलाइन पावती पत्र जनरेट करना है। यदि फर्म/एलएलपी ऑनलाइन पावती जनरेट नहीं करते हैं तो सूचीबद्धता के लिए उनका आवेदन नहीं माना जाएगा। फर्म/एलएलपी को ऑनलाइन पावती पत्र की प्रतिलिपि के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर दिनांक 28 फरवरी 2024 तक इस कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेखापरीक्षा-पंचम

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA 9, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARG, NEW DELHI – 110 002

Empanelment of Chartered Accountant firms/LLPs for the year 2024-2025

Online Applications are invited from Chartered Accountant firms/LLPs who desire to be empanelled with the office of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2024-2025 for considering for appointment as auditors of Companies as per Sections 139(5) and 139(7) of the Companies Act 2013 and of Statutory Corporations/Autonomous Bodies as per the provisions of their respective Acts. Online application form along with detailed instructions in this regard will be available on the website www.cag.gov.in from 05 January 2024 to 15 February 2024. The applicant firms/LLPs will have to fill/update the data showing the status of their firm as on 01 January 2024. After filling/updating the data, the firms/LLPs will be required to generate online acknowledgement letter for the year. If the firms/LLPs fail to generate online acknowledgment letter, their application would not be considered for empanelment. The firms/LLPs will be required to submit a print out of the acknowledgement letter generated online and also hard copies of the documents in support of their online application to this office by 28 February 2024.